संख्या-38/2026/402(1)/001-12-5099-45-2022

प्रेषक,

संजीव रंजन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक 10 जून , 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 103-भूमि सुधार तथा विकास, 09-पं० दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-भू०सं०/श०एवंवा०/पं०दी०उ०कि०स०यो०-कार्य०यो०/11/2026-27, दिनांक 13 अप्रैल, 2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 103-भूमि सुधार तथा विकास, 09-पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजनान्तर्गत विभिन्न मानक मदों में प्राविधानित धनराशि रू० 10281.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू० 6667.00 लाख (रूपये छाछठ करोड़ सरसठ लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित नियम/शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

<u>नियम/शर्तें</u>

1. प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उतने ही कार्यों का चयन किया जायेगा, जिनकी शतप्रतिशत भौतिक प्रगति प्राप्त की जा सके तथा चयनित कार्यों के सापेक्ष पृथक से शासकीय देयता सृजित न हो।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरें मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से लाभार्थी कृषकों के खाते में अंतरित की जायेगी।
6. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक उ०प्र० का होगा।
7. धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व यथावश्यकता सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
8. आपके द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य पूर्व में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।
9. स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहॉ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2402001030900 (पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	011	2402001030900 पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना	04 यात्रा व्यय	9,00,000 (रुपये नौ लाख मात्र)
2	011	2402001030900 पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना	08 कार्यालय व्यय	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
3	011	2402001030900 पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना	11 लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	12,00,000 (रुपये बारह लाख मात्र)
4	011	2402001030900 पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	21,00,000 (रुपये इक्कीस लाख मात्र)
5	011	2402001030900 पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना	27 सब्सिडी	12,46,00,000 (रुपये बारह करोड़ छियालीस लाख मात्र)
6	011	2402001030900 पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना	42 अन्य व्यय	53,40,00,000 (रुपये तिरेपन करोड़ चालीस लाख मात्र)
7	011	2402001030900 पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	12,00,000 (रुपये बारह लाख मात्र)
8	011	2402001030900 पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	12,00,000 (रुपये बारह लाख मात्र)
	कुल			**66,67,00,000 (रुपये छियासठ करोड़ सड़सठ लाख मात्र)**

महायोग	66,67,00,000 (रुपये छियासठ करोड़ सड़सठ लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
संजीव रंजन
विशेष सचिव।

संख्या-38/2026/402(1)/001-12-5099-45-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ की वे अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों को शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना का लाभ पात्रों को दिलाये जाने में सहयोग किया जा सके, द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र०, लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ संबंधित को धनराशि का आवंटन करते हुए आवंटन की प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. अपर कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण, कृषि भवन, उ०प्र०, लखनऊ।
8. विषय वस्तु विशेषज्ञ (शस्य एवं वानिकी), कृषि भवन, उ०प्र०, लखनऊ।
9. वित्त ई-1/नियोजन अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
संजीव रंजन
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in